राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	417/2020	कन्हैया लाल	1. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल भवन, जेकब रोड़, रेल्वेस्टेशन, जयपुर। 2. अधिशाषी अभिंयता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चित्तौडगढ। 3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर।
2.	419/2020	राधा किशन माली	

आदेश की दिनांक : 21.10.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री धर्मचन्द जैन, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपील संख्या–417/2020 में अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

"It is, therefore, humble prayed to your honour may graciously be pleased to accept and allow this appeal and the Respondents are directed to refund the amount of gratuity of Rs.26112/- along with interest @ 09% per annum from date of due to date of payment and further directed to revise pension & pensioners benefit by calculating on last pay at the time of Retirement without reduce/ Revised his pay.

ii. Any other order which may be deemed fit, just and proper in the interest of justice may kindly be passed in favour of appellant."

2. अपील संख्या–419/2020 में अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

"It is, therefore, humble prayed to your honour may graciously be pleased to accept and allow this appeal and the Respondents are directed to refund the amount of gratuity of Rs.26112/- along with interest @ 09% per annum from date of due to date of payment and further directed to revise pension & pensioners benefit by calculating on last pay at the time of Retirement without reduce/ Revised his pay.

ii. Any other order which may be deemed fit, just and proper in the interest of justice may kindly be passed in favour of appellant."

3. स्पष्ट है कि उपरोक्त दोनों अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा समान प्रकार के अनुतोष की मांग की है। अतः दोनों अपीलों का निस्तारण इस समान आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील

संख्या–417/2020 कन्हैया लाल बनाम मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर एवं अन्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा दिनांक 07.08.2006 को पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया गया था। इसके पश्चात आदेश दिनांक 08.07.2014 के द्वारा यह माना गया कि अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ देय नहीं है एवं अपीलार्थी के संबंध में पुनः वेतन निर्धारण कर अपीलार्थी से ग्रेचुटी की राशि में से 26112/– रूपये की वसूली किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त आदेश दिनांक 08.07.2014 को अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 105/2017 में चुनौती दी थी। उक्त अपील में अधिकरण ने आदेश दिनांक 13.12.2019 पारित कर आदेश दिनांक 08.07.2014 को अपास्त किये जाने के आदेश दिये थे और अपीलार्थी की ग्रेचुटी की राशि में से काटी गई राशि का पुनः भुगतान अपीलार्थी को किये जाने के निर्देश दिये थे। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को ग्रेचुटी की राशि में से काटी गई राशि का भुगतान किया जा चुका है, परंतु जो चयनित वेतनमान का लाभ संशोधित किया गया था, उसी आधार पर अपीलार्थी को वर्तमान में पेंशन दी जा रही है, जबकि अपीलार्थी को Last Pay के आधार पर पेंशन दी जानी चाहिए थी।
5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की च.श्रे.कर्मचारी से मंत्रालयिक संवर्ग में पदोन्नति हो जाने से कैडर परिवर्तन होना बताया गया है। तत्पश्चात प्रार्थी के समस्त राजकीय सेवा के परिलाभ क्रमशः 9,18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान भी केडर परिवर्तन की दिनांक 06.08.1979 कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति से माना गया है। प्रार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान कनिष्ठ लिपिक की पदोन्नति वर्ष 1992–93 से गणना कराते हुए दिनांक 14.12.1992 को दिया गया। 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 13.07.1997 को दिया गया तथा 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 06.11.2006 को दिया गया। जो कि समस्त परिलाभ राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एडफी–1/92/आरपीएस 89/92 दिनांक 25.01.1992 में वर्णित कैडर परवर्तन हो जोन से नियमानुसार दिये गये हैं।
6. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रत्याहारित करने के आदेश दिनांक 07.08.2014 को अधिकरण द्वारा अपील संख्या 105/2017 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2019 के द्वारा अपास्त किया जा चुका है। ऐसे में अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के पश्चात देय वेतन के आधार पर जो वेतन दिया जा रहा था, उसके आधार पर ही अपीलार्थी को पेंशन दी जायेगी। ऐसे में दोनों अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य हैं।
8. उपरोक्त विवेचना के आधार पर दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थीगण को सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम वेतन भुगतान के आधार पर पेशंन परिलाभ प्रदान किये जायें। अपीलार्थीगण को एरियर की राशि का भुगतान 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से किया जायें।
9. मूल आदेश को अपील संख्या 417/2020 में एवं इसकी छायाप्रति अपील संख्या 419/2020 में संलग्न की जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)